



## राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के वसतिार और आधुनिकीकरण की योजना

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मज़बूत करने के लिये [राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष \(NDRF\)](#) के अंतर्गत "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के वसतिार और आधुनिकीकरण की योजना" (Scheme for Expansion and Modernization of Fire Services in the States- SEMFSS) शुरू की है।

### राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के वसतिार और आधुनिकीकरण की योजना:

- **परिचय:**
  - इस योजना की उत्पत्ति [पंद्रहवें वसतिार आयोग \(XV-FC\)](#) की सफारिश से हुई है, जो तैयारियों और क्षमता निर्माण की फंडिंग सुविधा के लिये [NDRF](#) और [राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष \(SDRF\)](#) में से प्रत्येक के 12.5% हसिसे के आवंटन की अनुमति देता है।
- **उद्देश्य:**
  - योजना का उद्देश्य **राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का वसतिार और आधुनिकीकरण करना है** ताकि [NDRF](#) की तैयारियों तथा क्षमता-निर्माण घटकों के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मज़बूत करने की गतिविधियाँ सुनिश्चिती की जा सकें।
- **कोष आवंटन:**
  - [NDRF](#) के कुल कोष में से 5,000 करोड़ रुपए की राशि प्राथमिकता के तौर पर "अग्निशमन सेवाओं के वसतिार और आधुनिकीकरण" के लिये निर्धारित की गई थी।
  - कुल परवियय में से 500 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को उनके **कानूनी और बुनियादी ढाँचे-आधारित सुधारों** के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिये रखी गई है।
- **फंडिंग पैटर्न:**
  - योजना के अंतर्गत परियोजनाओं या प्रस्तावों को उनके बजटीय संसाधन आधार पर धन की मांग करने के लिये संबंधित **राज्य सरकारों को ऐसी परियोजनाओं या प्रस्तावों की कुल लागत का 25%** [उत्तर-पूरवी और हमिलयी (NEH) राज्यों को छोड़कर, जो 10% का योगदान देते हैं] योगदान करना होगा।

### राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF):

- **गठन:**
  - वर्ष **2005** में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता नधि (NCCF)** का नाम बदलकर [राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष/नधि \(NDRF\)](#) कर दिया गया।
    - इसे **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM अधिनियम)** की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
    - इसे भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "ब्याज रहित आरक्षण नधि" के अंतर्गत रखा जाता है।
    - **लोक लेखा:** इसका गठन **संवधान के अनुच्छेद 266(2)** के अंतर्गत किया गया था। यह उन लेन-देन के प्रवाह का लेखा-जोखा रखता है जहाँ सरकार केवल एक बैंक के रूप में कार्य कर रही है। उदाहरणस्वरूप भविस्य नधि, लघु बचत आदि।
- **भूमिका:**
  - किसी भी गंभीर आपदा की स्थिति या आपदा के कारण **आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास** के खर्चों को पूरा करने के लिये **केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधन** किया जाता है।
  - यह प्रकृति की गंभीर आपदा स्थिति में [SDRF](#) को पूरक बनाता है, बशरते **SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो**।
    - [SDRF](#) अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया हेतु राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक नधि है ताकि तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किसी भी प्रकार के व्यय को पूरा किया जा सके।
- **वसतिारपोषण:**
  - कुछ वसतुओं पर उपकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाकर वसतिारपोषित किया जाता है तथा **वसतिार वधियक** के माध्यम से वार्षिक मंजूरी दी जाती है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/scheme-for-expansion-and-modernization-of-fire-services-in-the-states>

